003

10

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय:- झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले राज्य सरकार के सेवकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट की स्वीकृति ।

1. झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा तय की जा चुकी है ।

2. राज्य सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों (पांच) की छूट देने का निर्णय लिया गया है:-

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/झारखंड / पटना / रांची / सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/ सरकार के सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ भेजी जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-6/लो.से.आ०स्था.-21/2002का०- 360 /रांची, दि०- 21/1/03

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

" उनसे अनुरोध है कि संकल्प की मुद्रित 1000 प्रतियां विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-6/लो.से.आ.-स्था.-21/2002का०- 360 /रांची, दि०- 21/1/03

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखंड एवं बिहार, रांची/पटना/ राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/मुख्य सचिव के सचिव/ कार्मिक सचिव के सचिव, रांची/पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ झारखंड, ी को सूचनार्थ ।

सरकार के सचिव ।